संख्या:35/2020/1899/12-2-2020-1/2019 टी0सी0

प्रेषक,

डा0 देवेश चतुर्वेदी,
अपर मुख्य सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

1. समस्त जिलाधिकारी, उत्तर प्रदेश।
2. कृषि निदेशक, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

कृषि अनुभाग-2 लखनऊ: दिनांक: 29 सितम्बर, 2020

विषय: प्रदेश के कृषक उत्पादक संगठन एवं व्यवसायिक गतिविधियों के प्रोत्साहन हेतु उत्तर प्रदेश कृषक उत्पादन संगठन नीति, 2020

महोदय,

उत्तर प्रदेश कृषि प्रधान राज्य है, जिसकी दो तिहाई आबादी ग्रामीण क्षेत्रों में निवास करती है, जिनकी जीविका खेती एवं उससे जुडे हुए अन्य कार्यों पर निर्भर है। राज्य में कृषक परिवारों की कुल संख्या 2.38 करोड है, जिसमें से 79 प्रतिशत सीमान्त एवं 13 प्रतिशत लघु श्रेणी के कृषक परिवार हैं। कृषि एवं सम्बद्ध क्षेत्र की आय तुलनात्मक रूप में अन्य व्यवसायिक/सेवा क्षेत्रों से कम होने के कारण छोटे कृषक सपरिवार जीविकोपार्जन हेतु शहरों की ओर पलायन कर रहे हैं तथा आर्थिक रूप से सक्षम कृषकों की अगली पीढी उच्च शिक्षा प्राप्त कर कृषि से इतर क्षेत्रों में कार्य करने को प्राथमिकता दे रही है। अत: प्रदेश की सतत बढती आबादी के खाद्य एवं पोषण सुरक्षा हेतु कृषि एवं सम्बद्ध क्षेत्र की उत्पादकता एवं गुणवत्ता के स्तर में निरन्तर वृद्धि आवश्यक है। इसके दृष्टिगत प्रदेश सरकार द्वारा कृषि क्षेत्र को आकर्षक एवं लाभदायक तथा स्थानीय स्तर पर रोजागार के अवसर सृजित करने के उददेश्य से कृषकों, विशेषकर लघु, सीमान्त श्रेणी के कृषकों को संगठित कर कृषक उत्पादक संगठनों के गठन एवं प्रोत्साहन हेतु एक नीति बनाये जाने का निर्णय लिया गया है। कृषक उत्पादक संगठनों के माध्यम से गुणवत्तायुक्त कृषि निवेशों की सामयिक उपलब्धता एवं नवीनतम तकनीकी के प्रयोग से उत्पादन/उत्पादकता में अपेक्षित वृद्धि के साथ ही विपणन योग्य कृषि उत्पादों का प्रसंस्करण एवं मूल्य संवर्धन कर लाभदायक मूल्य पर विक्रय कर सकेंगे।

2. उल्लेखनीय है कि कृषक उत्पादन संगठन, कम्पनी अधिनियम, 1956 के "भाग-9 क" (यथासंशोधित 2013) अथवा उत्तर प्रदेश राज्य सहकारी समिति अधिनियम, 1956(यथासंशोधित) के अधीन पंजीकृत ऐसा व्यवसायिक निकाय है, जिसमें कृषक/प्राथमिक उत्पादक अथवा उनके समूह संगठित होकर कृषि एवं सम्बद्ध क्षेत्रों हेतु आवश्यक निवेशों की व्यवस्था व नवीनतम तकनीकी प्रयोग से लेकर अपने उत्पादों के भण्डारण, प्रसंस्करण, मूल्य संवर्धन एवं विपणन तक की समस्त व्यवसायिक गतिविधियों का संचालन एवं अपने सदस्य कृषकों को विभिन्न प्रकार की सेवायें उपलब्ध कराने का कार्य करते हैं। कृषक उत्पादक संगठनों को उनके उत्पादों के प्रकार एवं इनकी मांग/पूर्ति की सम्भावनाओं के आधार पर क्लस्टर के रूप में गठित किया जायेगा, जो कृषक/प्राथमिक उत्पादों के आर्थिक एवं सामाजिक उन्नयन में सहायक सिद्ध हो तथा कृषि को उद्यमिता के रूप में स्थापित किया जा सके। इन संस्थागत संगठनों के माध्यम से राज्य/केन्द्र सरकर की योजनाओं का लाभ आसानी से संगठित कृषक

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

समूहों तक पहुंचाया जा सकेगा तथा उनका क्षमतावर्धन कर उत्पादन एवं विपणन में गुणात्मक सुधार प्राप्त किया जा सकेगा।

3. अत: सम्यक विचारोपरान्त प्रदेश में कृषक उत्पादक संगठनों के गठन, प्रोत्साहन एवं सुदृढीकरण हेतु उत्तर प्रदेश कृषक उत्पादक संगठन नीति, 2020 का गठन किए जाने का निर्णय लिया गया है। गठित उत्तर प्रदेश कृषक उत्पादक संगठन नीति, 2020 के कार्य एवं दायित्व निम्नवत होंगे:-

(1) <u>कृषक उत्पादन संगठन नीति, 2020</u>

प्रदेश में कृषक उत्पादक संगठनों के गठन, प्रोत्साहन एवं सुदृढीकरण हेतु इस नीति को उत्तर प्रदेश कृषक उत्पादक संगठन नीति, 2020 के नाम से जाना जायेगा।

(1) (i) <u>परिकल्पना (VISION)</u>

प्रदेश के कृषकों, विशेषकर लघु एवं सीमान्त श्रेणी, को संगठित करके कम लागत में गुणवत्तायुक्त कृषि निवेशों की व्यवस्था व उपयुक्त नवीनतम तकनीकी को अपनाकर उच्च उत्पादन, उत्पादों के मूल्य संवर्द्धन, प्रबंधन एवं बेहतर मूल्य प्राप्त करने हेतु समुचित विपणन व्यवस्था कर कृषकों की आय में सतत सृद्धि करना और प्राथमिक क्षेत्र में रोजगार के नए अवसर पैदा करना।

(1) (ii) <u>संकल्प (MISSION)</u>

- आर्थिक रूप से सक्षम, लोकतांत्रिक, स्वशासी कृषक उत्पादक संगठनां को बढावा देना।
- कृषि क्षेत्र को संगठित व्यवसाय के रूप में प्रोत्साहित करते हुए कृषि व्यवसाय से जुडी हुई अनिश्चिताओं को कम करना।
- किसानों को कृषक उत्पादक संगठनों के माध्यम से उचित मूल्य पर गुणवत्तायुक्त कृषि निवेश, नवीनतम तकनीकी ज्ञान, वित्तीय संसाधन एवं अवस्थापना सुविधायें उपलब्ध कराना।
- कृषक उत्पादक संगठनों को प्रशिक्षण/क्षमतावर्धन, निवेश एवं विपणन संबंधी आवश्यकताओं के लिए विशेषज्ञ सरकारी, सहकारी एवं निजी संस्थाओं से जोडना।
- कृषि एवं सम्बद्ध क्षेत्र के उत्पादों को समुचित भण्डारण, प्रसंस्करण व मूल्य संवर्द्धन कर बेहतर मूल्य दिलाना।
- कृषि उत्पादों के विपणन में आ रही बाधाओं का समुचित निदान करना।
- कृषक उत्पादक संगठनों को आर्थिक एवं तकनीकी रूप सक्षम बनाना जिससे वे स्वावलम्बी बनकर स्वयं के संसाधनों से अपनी व्यवसायिक गतिविधियों के सुचारू संचालन हेतु आत्मनिर्भर बनाना।
- कृषक उत्पादक संगठनों की क्षमतावर्धन कर, प्रसंस्करण, मूल्य संवर्धन एवं विपणन में तकनीकि आधारित निजी क्षेत्र के निवेश को आकर्षित कर प्राथमिक क्षेत्र में रोजगार एवं आय में वृद्धि करना।

(1) (iii) <u>कार्य क्षेत्र एवं विस्तार:</u>

- नीति के प्राविधान प्रदेश में किसानों से जुडे हुए समस्त विभागों एवं संस्थाओं यथा- कृषि, उद्यान एवं खाद्य प्रसंस्करण, पशुपालन, डेयरी, मत्स्य, सेरीकल्चर, यू0 पी0

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

एग्रो, बीज विकास निग, इफको, कृभको, राज्य कृषि उत्पादन मण्डी परिषद, कृषि विश्वविद्यालय एवं कृषि विज्ञान केन्द्रों पर लागू होंगे।

- उक्त संस्थायें/विभाग कृषक उत्पादक संगठनों को गुणवत्तायुक्त कृषि निवेश, आधुनिक तकनीकी, कृषि उत्पादों के संवर्द्धन, विक्रय, कम्पनीज अफेयर्स एवं प्रबंधन टैक्स (समस्त कर) आदि विषयों पर सहयोग प्रदान करेंगे।
- नीति के प्राविधान उन समस्त कृषक उत्पादक संगठनों/कम्पनियों पर लागू होंगे जो कि नीति जारी होने के पूर्व किसी भी संस्था द्वारा (नाबार्ड, एस0एफ0ए0सी0, उत्तर प्रदेश भूमि सुधार निगम, राज्य जैव ऊर्जा बोर्ड, सामुदायिक/सामाजिक विकास संगठनों अथवा किसी अन्य) प्रायोजित हैं तथा कम्पनी अधिनियम, 1956 के भाग-9क में पंजीकृत है अथवा नीति जारी होने के बाद से कम्पनी अधिनियम, 1956 के भाग-9 'क' अथवा उत्तर प्रदेश राज्य सहकारी समिति अधिनियम, 1965 के अधीन पंजीकृत होंगे।

(1) (iv) <u>कृषक उत्पादक संगठनों के गठन एवं प्रोत्साहन की प्रमुख रणनीति:-</u>

पत्र संख्या: 28011/1/2020-एम-II दिनांक 2 जुलाई, 2020 द्वारा देश में वर्ष 2023-24 तक 10000 कृषक उत्पादक संगठन के गठन एवं प्रोत्साहन हेतु नवीन योजना के विस्तृत दिशा-निर्देश निर्गत किए गए हैं। लघु कृषक व्यवसायिक संघ (एस0एफ0ए0सी0), एन0सी0डी0सी0 एवं नाबार्ड को परियोजना के संचालन हेतु क्रियान्वयन एजेन्सी नामित किया गया है। मार्ग-दर्शिका में यह भी व्यवस्था दी गयी है कि राज्य सरकार प्रदेश में कृषक उत्पादक संगठनों के गठन एवं प्रोत्साहन हेतु अपनी स्वतंत्र क्रियान्वयन एजेन्सी बना सकती है। क्रियान्वयन एजेन्सियों द्वारा एफ0पी0ओ0 के गठन, प्रोत्साहन व सुचारू संचालन के लिए क्लस्टर बेस्ड बिजनेस आर्गनाइजेशन (विशेषज्ञ सहयोगी संस्था) का चयन किया जायेगा। भारत सरकार स्तर पर राष्ट्रीय परियोजना प्रबंधन इकाई का गठन भी किया गया है जो कि पूरे देश में परियोजना के क्रियान्वयन, समन्वय, अनुश्रवण एवं मूल्यांकन से संबंधित कार्य करेगी।

प्रदेश में कृषक उत्पादक संठनों के गठन, संचालन एवं उनको आय परक गतिविधियों से जोडने हेतु निम्नवत रणनीति होगी:-

- कृषकों को संगठित होकर कृषि एवं सम्बद्ध क्षेत्र के लिए निवेश व्यवस्था एवं उत्पादों के विपणन से होने वाले लाभ से परिचित कराने हेतु जागरूकता कार्यक्रम।
- कृषक उत्पादक संगठन के कार्य क्षेत्र का निर्धारण एवं व्यवसाय हेतु विशिष्ट कृषि उत्पादों का चयन एवं व्यवसायिक कार्य योजना तैयार करना।
- ग्राम स्तर पर उत्पादक समूहों का गठन एवं आवश्यक कृषि उत्पादों हेतु निवेश आवश्यकता एवं विपणन योग्य उत्पादों की उपलब्धता का आंकलन।
- उत्पादक समूहों को संगठित कर उनमें से कार्यकारिणी समिति का चयन एवं उनमें से कृषक उत्पादक संगठन का गठन हेतु बोर्ड आफ डायरेक्टर का चयन।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

- विशेषज्ञ संस्थाओं द्वारा उत्पादक समूहों/बोर्ड आफ डायरेक्टर/सी0ई0ओ0 व कृषक उत्पादक संगठनों के कार्मिकों का प्रशिक्षण एवं क्षमतावर्धन।
- कृषि एवं सम्बद्ध क्षेत्र के संस्था/विभाग तथा वित्तीय संस्थाओं के अधिकारियों/कार्मिकों का कृषक उत्पादक संगठन के विषय पर प्रशिक्षण एवं क्षमतावर्धन।
- पंजीकरण हेतु आवश्यक अभिलेखों को तैयार कराने में सहयोग एवं समन्वय स्थापित करना।
- आवश्यक निवेशों की व्यवस्था हेतु राजकीय/सहकारी एवं निजी संस्थाओं से समन्वय।
- भण्डारण, खाद्य प्रसंस्करण एवं मूल्य संवर्द्धन गतिविधियों से जोडने हेतु आवश्यक सहयोग।
- कृषि उत्पादों के प्रसंस्करण एवं मूल्य संवर्द्धन पश्चात सीधे उपभोक्ता तक पहुंचाने में सहयोग प्रदान करना।
- कृषक उत्पादक संगठनों को डिजीटल प्लेटफार्म उपलब्ध कराते हुए ई-नाम, एम0सी0एक्स0, एन0सी0डी0एक्स के माध्यम से कृषि उत्पादों के विक्रय की सुविधा।
- सभी संस्थाओं द्वारा प्रायोजित कृषक उत्पादक संगठनों के लिए एकीकृत डैश बोर्ड बनाकर कृषि निवेश/तकनीकि सेवा प्रदाताओं तथा खरीददारों से सीधे सम्पर्क स्थापित करना।
- कृषक उत्पादक संगठनों के सुचारू संचालन हेतु विधि एवं लेखा संबंधी समस्या का समुचित निराकरण।
- मण्डी अधिनियम में सुधार, भूमि पटटा अधिनियम, निर्यात प्रोत्साहन नीति एवं कान्ट्रैक्ट फार्मिंग नीति के अन्तर्गत देय अनुदान/सुविधाओं को सुलभ बनाना।
- कृषक उत्पादक संगठनों के उत्पादन एवं विपणन के कार्य को सुचारू रूप से सम्पादित करने में समर्थ होने पर नेटवर्क स्थापित कर इनके माध्यम से कृषि एवं सम्बद्ध विभागों के प्रसार व प्रशिक्षण संबंधी योजनाओं का क्रियान्वयन।
- कृषकों की आय में वृद्धि हेतु संचालित शासकीय योजनाओं/कार्यक्रमों का लाभ/सुविधाओं यथा कृषि यंत्रीकरण, गोदाम निर्माण, बीज विधायन संयंत्र स्थापना, मिनी मिशन ऑन आयलसीड, परम्परागत कृषि विकास योजना, रेशम कीट पालन एवं संबंधित प्रसंस्करण इकाईयों की स्थापना, राज्य आजिविका मिशन द्वारा संचालित परियोजनाओं में सहभागिता, पंचायतीराज विभाग द्वारा संचालित गोबर धन योजना, राष्ट्रीय बास मिशन योजना, श्यामा प्रसाद मुखर्जी रूर्बन मिशन योजना, लघु डेयरी एवं बैकयार्ड पोल्ट्री योजना, नामामि गंगे परियोजना, औषधीय कृषि एवं संबंधित मूल्य संवर्धन कार्यक्रम, खाद्य प्रसंस्करण इकाईयों की स्थापना, कृषि विविधीकरण हेतु फल/सब्जी, दुग्ध, मांस, अण्डा, मत्स्य उत्पादन कार्य, मनरेगा योजना से भूमि एवं जल संरक्षण के कार्य व कृषक सशक्तीकरण योजना, मूल्य संवर्द्धन हेतु एम0एस0एम0ई0 की योजनाओं से कोल्ड चेन/पैक हाउस/लघु कुटीर उद्योग की स्थापना आदि को प्राप्त करने हेतु सक्षम बनाना।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

- निजी क्षेत्र के कृषि तकनीकी एवं सेवा प्रदाताओं को कृषक उत्पादक संगठनों के साथ सम्पर्क स्थापित कर संयुक्त रूप से संस्करण, मूल्य संवर्धन एवं विपणन को प्रोत्साहित करना।

(1) (v) <u>रणनीति का क्रियान्वयन:</u>

- प्रदेश में कृषक उत्पादक संगठनों के विकास के लिए प्रदेश स्तरीय नीति एवं उसके क्रियान्वयन हेतु राज्य स्तरीय परियोजना प्रबंधन इकाई (पी0एम0यू0) स्थापित की जायेगी।
- पी0एम0यू0 प्रदेश में प्रोत्साहित किए गए एवं किए जाने वाले समस्त कृषक उत्पादक संगठनों का ऑनलाइन डाटा बेस तैयार करेगा, जिसके आधार पर प्रदेश के विभिन्न विकास खण्डों में कार्यरत कृषक उत्पादक संगठनों व उनके उत्पाद तथा कार्यकलापों की जानकारी सुलभ हो सके।
- प्रत्येक विकास खण्ड में कार्यरत कृषक उत्पादक संगठनों के डेटाबेस के आधार पर पी0एम0यू0 प्रत्येक वर्ष में प्रदेश में विकास खण्डवार कृषक उत्पादक संगठनों के गठन का लक्ष्य निर्धारित करेंगे।
- प्रदेश में कृषक उत्पादक संगठनों के गठन हेतु केन्द्र सरकार द्वारा अधिकृत परियोजना क्रियान्वयन संस्थायें, पी0एम0यू0 द्वारा किए गए विकास खण्डवार लक्ष्यों के आधार पर ही कृषक उत्पादक संगठनों के गठन का कार्य करेंगी।
- पी0एम0यू0 प्रदेश में समस्त कृषक उत्पादक संगठनों के व्यवसायिक आयोजन, वैधानिक दायित्वों की पूर्ति के लिए एवं उनके हैण्ड होल्डिंग हेतु वार्षिक कार्य योजना तैयार करके कृषक उत्पादक संगठनों के वार्षिक व्यवसाय का लेखा-जोखा एवं वैधानिक कार्यो की स्थिति का अनुश्रवण करेगा।
- पी0एम0यू0 प्रदेश के समस्त विभागों के साथ समन्वय स्थापित कर उन विभागों की योजनाओं का लाभ प्रदेश में कार्यरत कृषक उत्पादक संगठनों के लिए सुलभ कराने हेतु आवश्यक पद्धतियों के विकास एवं नियमों में विभिन्न प्रकार के संशोधन हेतु प्रयास करेगा।
- विभिन्न सरकारी/अर्द्धसरकारी एवं गैर सरकारी संस्थाओं द्वारा कृषक उत्पादक संगठनों को उपलब्ध कराये जाने वाले वित्तीय सहायता यथा इक्विटी ग्राण्ट, बिजनेस डेवपलमेंट सपोर्ट आदि नीतिगत निर्णय के सम्बन्ध में पी0एम0यू0 द्वारा संस्तुति दी जायेगी।
- कृषि एवं आनुषांगिक विभागों द्वारा संचालित ऐसी योजनायें जिसमें किसानों के क्लस्टर हेतु सुविधायें दिये जाने का प्राविधान है, ऐसी समस्त सुविधाओं को कृषक उत्पादक संगठनों के माध्यम से दिये जाने हेतु विशेष प्रबंध किए जायेंगे।
- विभिन्न विभागों में संचालित योजनाओं की सूची तैयार कर उनमें से कृषक उत्पादक संगठनों के लिए उपयुक्त योजनाओं का चिन्हांकन कर उनका लाभ कृषक उत्पादक संगठनों को कराने हेतु आवश्यक प्राविधान करवाने हेतु पी0एम0यू0 कार्यवाही करेगा।
- पी0एम0यू0 के अधीन एक कृषक उत्पादक संगठनों हेतु हेल्प डेस्क स्थापित किया जायेगा जो कि प्रदेश में कृषक उत्पादक संगठनों को आर0ओ0सी0 की वैधानिक

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

कार्यवाहियों, व्यवसायिक आयोजन आदि के विषय में सहायता प्रदान करेगा। हेल्प डेस्क कृषक उत्पादक संगठनों को उनके खातों की आडिट एवं टैक्स संबंधी मामलों में भी सहायता प्रदान करेगा।

4. <u>नीति के क्रियान्वयन हेतु प्रदेश स्तरीय नोडल एजेन्सी:-</u>

कृषि विभाग प्रदेश में कृषक उत्पादन संगठनों के गठन एवं प्रोत्साहन हेतु नोडल एजेन्सी के रूप में कार्य करेगा। राज्य स्तरीय परियोजना प्रबंधन इकाई (पी0एम0यू0) में कृषि, उद्यान व खाद्य प्रसंस्करण, पशुपालन व दुग्ध विकास, विपणन, आई0टी0/एम0आइ0एस0 एवं विधि व लेखा के विशेषज्ञों के साथ सहयोगी कार्मिकों की टीम होगी, जो प्रदेश में गठित होने वाले कृषक उत्पादक संगठनों को मार्ग-दर्शन एवं सहयोग प्रदान करेंगे। राज्य स्तरीय परियोजना प्रबंधन इकाई के सुचारू संचालन हेतु कृषि निदेशक स्तर के मिशन निदेशक/मुख्य कार्यकारी अधिकारी (सी0ई0ओ0) एवं अपर कृषि निदेशक स्तर के अधिकारी की अपर मिशन निदेशक के रूप में नियुक्ति की जायेगी। संयुक्त कृषि निदेशक की अध्यक्षता में मण्डल स्तरीय परियोजना प्रबंधन इकाई एवं उप कृषि निदेशक की अध्यक्षता में जनपद स्तरीय परियोजना प्रबंधन इकाई स्थापित की जायेगी।

राज्य स्तरीय परियोजना प्रबंधन इकाई के मिशन निदेशक/मुख्य कार्यकारी अधिकारी (सी0ई0ओ0) के पद पर कृषि निदेशक स्तर के अधिकारी का चयन किया जायेगा जिसकी व्यवस्था कृषि एवं सम्बद्ध क्षेत्र के विभागों में उपलब्ध समकक्षीय पदों के सापेक्ष की जायेगी। इसी प्रकार अपर मिशन निदेशक पद हेतु चयन प्रक्रिया अपनायी जायेगी। प्रदेश, मण्डल एवं जनपद स्तर पर कृषि विभाग के उपलब्ध अधिकारियों/कर्मचारियों एवं सब मिशन ऑन एग्रीकल्चर एक्सटेंशन (एस0एम0ए0ई0) के अन्तर्गत भारत सरकार द्वारा स्वीकृत पदों के सापेक्ष कार्यरत कार्मिकों तथा रिक्त पदों के सापेक्ष यथावश्यकता कार्मिकों का चयन कर परियोजना के क्रियान्वयन में सहयोग प्रदान किया जायेगा। परियोजना प्रबंधन इकाई की संरचना एवं कार्मिकों की व्यवस्था का विवरण संलग्नक-1 पर दिया गया है।

कृषक उत्पादक संगठनों के गठन, प्रशिक्षण, संचालन, विधि व लेखा संबंधी प्रकरणों के निस्तारण एवं व्यवसायिक गतिविधियों के क्रियान्वयन/समन्वय हेतु क्लस्टर बेस्ड बिजनेस आर्गनाइजेशन द्वारा विशेषज्ञ सहयोगी संस्था के रूप में किया जायेगा।

5. <u>कार्य एवं उत्तरदायित्व:-</u>

राज्य स्तरीय परियोजना प्रबंधन इकाई के निम्नलिखित कार्य एवं उत्तरदायित्व होंगे:-

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

(5) (i) कृषक उत्पादक संगठन के विकास हेतु समन्वय:

- प्रदेश में कृषक उत्पादक संगठनों के डेटा बेस तैयार करने हेतु एक विशेष आनलाइन पोर्टल तैयार कर उसमें पूर्व में गठित तथा भविष्य में गठित होने वाले समस्त कृषक उत्पादक संगठनों के लिए एकीकृत डैश बोर्ड तैयार कराना।
- कृषक उत्पादक संगठनों के विभिन्न प्रकार के कार्यो के सम्पादन हेतु आवश्यक विभागों के आनलाइन लिंक को विशेष आनलाइन पोर्टल के साथ सम्बद्ध करना।
- कृषक उत्पादक संगठनों के समक्ष आने वाले विभिन्न प्रकार की समस्याओं के समाधान एवं उनको विभिन्न प्रकार की विभागीय सहायता संबंधी जानकारी उपलब्ध कराने हेतु एक समर्पित हेल्प डेस्क की स्थापना एवं उसका संचालन करना।
- कृषक उत्पादक संगठनों के कार्यो में विभिन्न प्रकार के सहायता हेतु विशेषज्ञ संस्थाओं की नियुक्ति करना।
- समस्त विभागों में कृषक उत्पादक संगठनों के लिए उपयुक्त योजनाओं एवं सुविधाओं की सूची तैयार कर विभागों में समन्वय स्थापित करने हेतु शासनादेशों, नियमों तथा विधि विधानों को तैयार कर लागू करवाना।
- प्रदेश में कृषक उत्पादक संगठनों के गठन हेतु विकास खण्डवार लक्ष्य निर्धारित करना एवं उनके क्रियान्वयन हेतु मण्डल एवं जनपद स्तर को दिशा-निर्देश निर्गत करना।
- क्लस्टर बेस्ड बिजनेस आर्गनाइजेशन (सी0बी0बी0आ0) की पहचान एवं चयन हेतु मापदण्ड निर्धारित कर उनका चयन करना।

(5) (ii) कृषक उत्पादक संगठनों का क्षमतावर्धन:

- कृषक उत्पादक संगठनों के प्रोत्साहन एवं सुदृढीकरण में संलग्न पी0एम0यू0 के कार्मिकों एवं कृषक उत्पादक संगठनों के निदेशकों, प्रवर्तकों, शेयरधारकों का विभिन्न मुददों पर प्रशिक्षण एवं क्षमतावर्धन करना।
- प्रशिक्षण एवं क्षमतावर्धन हेतु वार्षिक योजना तैयार करना।
- प्रशिक्षण हेतु निर्धारित विभिन्न विषयों पर प्रशिक्षण माडयूल एवं प्रशिक्षण सामग्री तैयार करना।
- कृषक उत्पादक संगठनों के सदस्यों में प्रोड्यूसर कम्पनियों के कार्यप्रणाली की व्यवहारिक समझ विकसित करने हेतु माडल प्रोड्यूसर कम्पनियों का शैक्षणिक भ्रमण/एक्सपोजर विजिट आयोजित करना।
- निजी क्षेत्र के कृषि निवेश एवं तकनीकि सेवा प्रदाताओं द्वारा उपलब्ध कराये जा रहे निवेश/तकनीकि मदद करना।
- कृषक उत्पादक संगठनों की व्यवसायिक गतिविधियों के लिए परियोजना प्रस्ताव बनाने में तकनीकि मदद करना।

(5) (iii) कृषक उत्पादक संगठनों के व्यवसायिक गतिविधियों का आयोजन:

- कृषक उत्पादक संगठनों को विभिन्न लाभकारी कृषि उत्पादों एवं उनके प्रसंस्करण की विस्तृत जानकारी देना एवं संबंधित डी0पी0आर0 अथवा योजना बनाने में सहायता करना।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

- व्यवसायिक योजनाओं के अनुसार संबंधित सरकारी विभागों एवं निजी संस्थाओं के साथ समन्वय हेतु व्यवसायिक बैठकों का आयोजन करना।
- व्यवसायिक मेलों का आयोजन एवं विभिन्न अन्य प्रदेशों में आयोजित होने वाले व्यवसायिक आयोजना में प्रतिभाग करना।
- व्यवसायिक योजनाओं के क्रियान्वयन में वित्तीय सहयोग हेतु धनराशि की व्यवस्था करना।
- विभिन्न सरकारी विभागों की सुविधाओं का लाभ कृषक उत्पादक संगठनों को उपलब्ध कराने हेतु विभागीय समन्वय स्थापित करवाना।
- कृषक उत्पादक संगठनों की आत्मनिर्भरता के लिए स्थापित किए जाने वाले उद्यमों हेतु विभिन्न ऋण प्रदाता संस्थाओं यथा व्यवसायिक बैंक, सहकारी बैंक, एन0बी0एफ0सी0/सूक्ष्म ऋण कम्पनियों के साथ समन्वय, सहायता एवं जानकारी उपलब्ध कराना।
- ऋण, बीमा, तकनीकि एवं अन्य सेवाओं को सुलभ बनाना तथा उत्पादन के अगले चरणों में इन सेवाओं का विस्तार करना।
- व्यवसायिक आयोजनों के क्रियान्वयन का अनुश्रवण एवं मूल्यांकन आयोजित कराना।
- समय-समय पर जनपद, प्रदेश अथवा प्रदेश के बाहर स्तर पर कृषक उत्पादक संगठनों के उत्पादों की प्रदर्शनी इत्यादि के माध्यम से प्रचार-प्रसार कराना।

(5) (iv) <u>कृषक उत्पादक संगठनों के प्रशासनिक/वैधानिक कार्यो के निष्पादन में सहयोग:</u>

- कृषक उत्पादक संगठनों के पंजीकरण में सहयोग प्रदान करना।
- कृषक उत्पादन संगठनों का ससमय वार्षिक रिटर्न दाखिल कराने में सहयोग करना।
- विभिन्न प्रकार के अनुज्ञप्ति/लाइसेन्स आदि को प्राप्त कराने में सहयोग करना।

(5) (v) <u>वित्त पोषण:</u>

(5) (vi) <u>मानव संसाधन:</u>

राज्य परियोजना प्रबंधन इकाई के राज्य मुख्यालय, मण्डल स्तर एवं जनपद स्तर पर समन्वय का कार्य/क्रियान्वयन/अनुश्रवण कृषि एवं सम्बद्ध विभाग के कार्यरत अधिकारियों/कर्मचारियों अथवा उपलब्ध रिक्त पदों के सापेक्ष चयन द्वारा सम्पादित किया जायेगा। साथ ही केन्द्रीय योजना एस0एम0ए0ई0 के अन्तर्गत स्वीकृत पदों के सापेक्ष कार्यरत कार्मिकों तथा रिक्त पदों के सापेक्ष यथावश्यकता कार्मिकों का चयन कर परियोजना के क्रियान्वयन में सहयोग प्रदान किया जायेगा। राज्य स्तर पर विशेषज्ञों एवं विकास खण्ड स्तर पर कार्मिकों की व्यवस्था एस0एम0ए0ई0 योजना के रिक्त पदों के सापेक्ष की जायेगी। इस प्रकार परियोजना प्रबंधन इकाई के सुचारू सम्पादन की व्यवस्था की व्यवस्था कृषि विभाग के नियमित अधिकारियों/कर्मचारियों तथा एस0एम0ए0ई0 योजना अन्तर्गत स्वीकृत पदों से कर ली जायेगी, फलस्वरूप राज्य सरकार पर कोई अतिरिक्त व्यय भार नहीं आयेगा।

(5) (vii) <u>परियोजना क्रियान्वयन:</u>

परियोजना क्रियान्वयन हेतु कृषक उत्पादक संगठनों के गठन, प्रशिक्षण, संचालन, विधि व लेखा संबंधी प्रकरणों के निस्तारण एवं व्यवसायिक गतिविधियों के

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

क्रियान्वयन/समन्वय हेतु चयनित क्लस्टर बेस्ड बिजनेस आर्गेनाइजेशन पर आने वाला व्यय एवं कृषक उत्पादक संगठन के कार्मिकों के मानदय की व्यवस्था भारत सरकार की योजना से वहन किया जायेगा। अत: इस पर भी राज्य सरकार पर किसी प्रकार का वित्तीय व्यय भार नहीं आयेगा।

(5) (viii) कार्यशील की पूंजी के व्यवस्था:

भारत सरकार द्वारा कृषक उत्पादक संगठनों के गठन एवं प्रोत्साहन हेतु निर्गत दिशा-निर्देशों में कार्यशील पूंजी उपलब्ध कराने की व्यवस्था नहीं दी गयी है। प्रारम्भिक वर्षो में कृषक सदस्यों की संख्या एवं शेयर कैपिटल कम होने के कारण आवश्यक कृषि निवेश, कच्चा माल एवं आवश्यक सामग्री के क्रय/व्यवस्था हेतु धनराशि का अभाव रहता है। उक्त के दृष्टिगत व्यवसायिक गतिविधियों के संचालन हेतु आवश्यक निवेशों की आपूर्ति सुनिश्चित करने हेतु कृषक उत्पादक संगठनों को बैंक ऋण उपलब्ध कराने में सहयोग प्रदान किया जायेगा तथा देय ब्याज दर पर अनुदान भी उपलब्ध कराया जायेगा। वर्तमान में वाणिज्यिक, सहकारी, शिड्यूल एवं क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों द्वारा व्यवसायिक गतिविधियों के संचालन हेतु 09-11 प्रतिशत की ब्याज दर पर ऋण उपलब्ध कराया जा रहा है। पूर्व से कार्यरत कृषक उत्पादक संगठनों को नीति के लागू होने की तिथि से तथा नये कृषक उत्पादक संगठनों के कम्पनी एक्ट अथवा सहकारी अधिनियम के अन्तर्गत पंजीकृत होने के पश्चात आगामी 03 वर्षो में व्यवसायिक गतिविधियों को बढावा देने हेतु अधिकतम रू0 5.00 लाख तक के बैंक ऋण पर प्रभावी ब्याज दर पर 4 प्रतिशत का अनुदान उपलब्ध कराया जायेगा। इस सुविधा को प्राप्त करने के लिए कृषक उत्पादक संगठन में न्यूनतम 150 अंशधारक कृषक होना आवश्यक होगा। प्रत्येक वित्तीय वर्ष के समापन पश्चात आगामी वित्तीय सत्र के 30 अप्रैल तक ऋण धनराशि का नवीनीकरण संबंधित कृषक उत्पादक संगठन द्वारा कराना होगा। प्रदेश में पूर्व से कार्यरत लगभग 500 कृषक उत्पादक संगठनों एवं नये गठित होने वाले लगभग 2000 कृषक उत्पादक संगठनों को रू0 5.00 लाख प्रति कृषक उत्पादक संगठन की सीमा तक लिए गए बैंक ऋण पर देय ब्याज अनुदान की अनुमानित धनराशि, जिसका कृषि विभाग द्वारा अपने विभागीय बजट में वित्तीय प्राविधान कराया जायेगा, का विवरण निम्नवत है:-

क्र0 सं0	वित्तीय वर्ष	पुराने पात्र कृषक उत्पादक संगठनों की संख्या	नए पात्र कृषक उत्पादक संगठनों की संख्या	अनुमानित नवीन कार्यशील पूंजी की धनराशि (करोड रू0 में)	ब्याज अनुदान धनराशि (करोड रू0 में)
1	वर्ष 2020-21	500	0	25.00	0.50
2	वर्ष 2021-22	500	1000	50.00	3.00
3	वर्ष 2022-23	1500	1000	50.00	5.00
4	वर्ष 2023-24	1500	0	0.00	4.50

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

5	वर्ष 2024-25	2500	0	0.00	2.00
	योग			125.00	15.00

(वित्तीय वर्ष 2020-21 एवं 2023-24 में रू0 25.00 करोड की कार्यशील पूंजी पर 6 माह का ब्याज अनुदान)

(5) (ix) वित्तीय एवं वैधानिक दायित्वों का निष्पादन:

कृषक उत्पादक संगठनों की व्यवसायिक गतिविधियों के सुचारू संचालन हेतु वित्तीय अभिलेखों का सुव्यवस्थित रख-रखाव एवं वैधानिक दायित्वों का सामयिक निष्पादन अत्यन्त आवश्यक है। अत: कृषक उत्पादक संगठनों के प्रशासनिक, वित्तीय एवं वैधानिक उत्तरदायित्वों के निर्वहन में आ रही कठिनाईयों को दूर करने के लिए कम्पनी सेक्रेटरी/चार्टेड एकाउन्टेंट की सेवायें उपलब्ध करायी जायेंगी। इन प्रबंधकीय सेवाओं हेतु राज्य स्तर पर विशेषज्ञ व्यक्तियों/संस्थाओं को अनुबंधित किया जायेगा, जिस पर वार्षिक व्यय रू0 50 लाख अनुमानित है। इस धनराशि की व्यवस्था राष्ट्रीय कृषि विकास योजना के प्रशासनिक व्यय मद से की जायेगी।

कृषि निदेशक, उत्तर प्रदेश, लखनऊ द्वारा प्रश्नगत उत्तर प्रदेश कृषक उत्पादन संगठन पर व्यय की जाने वाली धनराशि रूपये 1500.00 लाख का प्राविधान आय-व्ययक में कराया जायेगा।

6. कृषक उत्पादक संगठन सलाहकारी समिति:

कृषक उत्पादक संगठनों को संशक्त बनाने में सहयोग प्रदान करने हेतु प्रदेश के अग्रणी कृषकों, जिनके द्वारा प्रदेश में कृषि एवं सम्बद्ध क्षेत्रों में उल्लेखनीय कार्य किया गया है, की एक सलाहकार समिति गठित की जायेगी। इस समिति में धान्य, दलहन, तिलहन, सब्जी, फल, पशुपालन, दुग्ध उत्पादन, मत्स्य, रेशम, पुष्पोत्पादन, खाद्य प्रसंस्करण, मूल्य संवर्द्धन, विपणन आदि क्षेत्र के अग्रणी के कृषकों को सदस्य के रूप में नामितकिया जायेगा।

7. नीति क्रियान्वयन के सम्भावित आउटकम:

- प्रत्येक विकास खण्ड में पूर्णतया क्रियाशील कृषक उत्पादक संगठनों का संचालन प्रारम्भ हो जायगा।
- लघु एवं सीमान्त कृषकों का आर्थिक एवं सामाजिक उन्नयन/सशक्तीकरण।
- प्रदेश में कृषकों को उनके डोर-स्टेप पर गुणवत्तायुक्त कृषि निवेश एवं सेवाएं उपलब्धता।
- प्रत्येक कृषक उत्पादक संगठनों को विभिन्न विभागों में आवश्यक लाइसेन्स/प्रमाण पत्र की सुलभता।
- नवीनतम तकनीकी के प्रयोग से उत्पादन लागत में कमी एवं उच्च उत्पादन/उत्पादकता प्राप्त कर सदस्य कृषकों की शुद्ध आय में वृद्धि।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

- कृषक उत्पादक संगठन के कार्यक्षेत्र में सदस्यों के साथ स्थानीय निवासियों को भी उचित मूल्य पर गुणवत्तायुक्त उत्पादों की उपलब्धता।
- कृषक उत्पादक संगठन के माध्यम से निजी क्षेत्र के निवेश को प्रोत्साहन मिलेगा।
- कृषक उत्पादक संगठन को निजी क्षेत्र के सहयोग से उत्पादन, भण्डारण,प्रसंस्करण, मूल्य संवर्धन, परिवहन एवं विपणन के लिए उन्नत एवं किफायती तकनीकि के प्रयोग को बढावा मिलेगा।
- कृषक उत्पादक संगठन की व्यवसायिक गतिविधियों के माध्यम से स्थानीय स्तर पर प्रत्यक्ष/अप्रत्यक्ष रोजगार का सृजन।
- प्रत्येक कृषक उत्पादक संगठनों को भारत सरकार के कम्पनी रजिस्ट्रार के यहॉ वार्षिक रिटर्न को समय से दाखिल निर्धारित अपनी कम्पनी संबंधी वैद्यानिकताओं की समय से पूर्ति करने लगेंगे।
- अपने सदस्यों के लिए कृषि व्यवसाय से इतर अन्य उपयोगी व आवश्यक जनजागरण/सामजिक/कल्याणकारी कार्यक्रमों का आयोजन।
- कृषि एवं इससे जुडी प्राथमिक क्षेत्र की अन्य गतिविधियों को व्यवसायिक रूप से संगठित कर प्राथमिक क्षेत्र के जोखिम को कम किया जा सकेगा।
- प्रस्तावित नीति से दस लाख से अधिक कृषक लाभान्वित होंगे तथा लगभग 4 लाख हेक्टेयर क्षेत्र में कृषि एवं सम्बद्ध क्षेत्र के विशिष्ट उत्पादों का उत्पादन/विपणन किया जायेगा।

8. कृपया उक्त लिए गए निर्णयों के सम्बन्ध में अग्रेतर अपेक्षित कार्यवाही सुनिश्चित कराने का कष्ट करें तथा कृत कार्यवाही की आख्या/सूचना शासन को भी यथाशीघ्र उपलब्ध कराने का कष्ट करें।

भवदीय,

(डा0 देवेश चतुर्वेदी)
अपर मुख्य सचिव।

संख्या:35/2020/1899(1)/12-2-2020 तद्दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव/सचिव, दुग्ध विकास विभाग, मत्स्य विभाग, रेशम विभाग, उद्यान एवं खाद्य प्रसंस्करण विभाग, सेरीकल्चर विभाग, कृषि विदेश एवं व्यापार विभाग, पंचायती राज विभाग, नमामि गंगे विभाग, सहकारिता विभाग, उद्योग विभाग, उत्तर प्रदेश शासन।
2. कुलपति, चन्द्र शेखर आजाद कृषि एवं प्रोद्योगिक विश्वविद्यालय, कानपुर।
3. कुलपति, आचार्य नरेन्द्र देव कृषि एवं प्रोद्योगिक विश्वविद्यालय, अयोध्या।
4. कुलपति, बांदा कृषि एवं प्रोद्योगिक विश्वविद्यालय, बांदा।
5. कुलपति, सरदार बल्लभ भाई पटेल कृषि एवं प्रोद्योगिक विश्वविद्यालय, मेरठ।
6. मुख्य महाप्रबंधक, नाबार्ड द्वारा कृषि निदेशक, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

7. सचिव (डी0ए0सी0डब्ललू0), भारत सरकार।
8. समस्त मण्डलायुक्त, उत्तर प्रदेश।
9. समन्वय, राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति द्वारा कृषि निदेशक, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।
10. सचिव, जैव ऊर्जा विकास बोर्ड, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।
11. राज्य समन्वयक, यू0पी0डास्प द्वारा कृषि निदेशक, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।
12. प्रबंध निदेशक, एस0एफ0ए0सी0 द्वारा कृषि निदेशक, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।
13. प्रबंध निदेशक, एन0सी0डी0एम0 द्वारा कृषि निदेशक, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।
14. प्रबंध निदेशक, यू0 पी0 स्टेट एग्रो इण्ड्रस्ट्रियल कारपोरेशन लि0, लखनऊ।
15. प्रबंध निदेशक, उत्तर प्रदेश बीज विकास निगम, लखनऊ।
16. निदेशक, राज्य कृषि उत्पादन मण्डी परिषद, गोमती नगर, लखनऊ।
17. समस्त प्रभारी कृषि विज्ञान केन्द्र द्वारा कृषि निदेशक, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।
18. प्रबंध निदेशक, इफको को द्वारा कृषि निदेशक, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।
19. प्रबंध निदेशक, कृभको द्वारा कृषि निदेशक, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

आज्ञा से,

(विद्या शंकर सिंह)
विशेष सचिव।

http://shasanadesh.up.gov.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।